विहित प्रपत्र

वित्तीय वर्ष-2018-19

कार्यालय का नामः-   आहरण/व्यय पदाधिकारी का टेलीफोन एवं दूरभाष संख्या ....

मुख्य शीर्ष ....उप मुख्यशीर्ष ....लघुशीर्ष ....उपशीर्ष ....

विपत्र कोडः- ....

क्र. सं.	विषय शीर्ष		प्राप्त आवंटन	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक संभावित व्यय।	प्रत्यार्पित राशि (मद 3-5) (रुपये में))	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	01 - 01	वेतन				
3	01 - 03	जीवन यापन भत्ता				
4	01 - 04	मकान किराया भत्ता				
5	01 - 05	परिवहन भत्ता				
6	01 - 06	चिकित्सा भत्ता				
7	01 - 07	अन्य भत्ता				
		योग- वेतन एवं भत्ते				
8	06 - 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति				
9	11 - 01	यात्रा व्यय				
10	13 - 01	कार्यालय व्यय				
11	13 - 02	वाहन का ईधन एवं रख रखाव				
12	13 - 03	दूरभाष				
13	13 - 04	विद्युत प्रभार				
14	13 - 05	विधि प्रभार				
16	13 - 06	वर्दी/पोषाक				
17	14 - 01	किराया महसूल एवं कर				
18	16 - 01	प्रकाशन एवं मुद्रण				
19	20 - 03	प्रशिक्षण व्यय				
20	28 - 02	संविदा सेवाएं				

नोटः- उपरोक्त विषय शीर्ष के अलावा यदि अन्य मदों में प्रत्यर्पित करने योग राशि हो तो उसे जोड़ते हुए राशि प्रत्यार्पित किया जाय।

लेखापाल/रोकड़ पाल का हस्ताक्षर
नाम एवं मो०नं०

पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं
पदनाम (मोहर सहित)

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

सं०सं०–अ०सां०नि०/स्था०13–01/2019 /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

वंशीधर मिश्र
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक (सांख्यिकी)
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 का प्रत्यर्पयण प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में निदेशालय द्वारा मुख्यशीर्ष–3454– के स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय तथा योजना उप शीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि का शीर्षवार प्रत्यर्पण प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 12.03.2019 को, आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में आवश्यक निदेश दिया जा चुका है। आप जानते हैं कि किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत एक से अधिक आवंटन आदेश निर्गत किया जाता है, जिसे मदवार समेकित करते हुए एक शीर्ष का एक ही प्रत्यर्पण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। साथ ही जिस शीर्ष के अन्तर्गत किसी भी मद से पूर्व में राशि प्रत्यपिर्तत की गई है, उसे जोड़ते हुए 31.03.2019 की तिथि में अंतिम प्रत्यर्पण प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराया जाना है। ज्ञातव्य हो कि आपके द्वारा शीर्षवार व्यय/निकासी की गई राशि जाँचोंपरान्त प्रत्यर्पण प्रतिवेदन तैयार किए जाएं एवं किसी भी परिस्थिति में वास्तविक व्यय की गई राशि से भिन्न राशि प्रतिवेदित हो चुकी हो तो संशोधित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन हर हाल में बिना किसी चुक के दिनांक 03.04.2019 तक विशेष दूत के माध्यम से बजट शाखा को उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि वित्त विभाग को प्रेषित किया जाने वाला समेकित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन संशोधित कर वास्तविक राशि प्रत्यर्पित की जा सके।

अतः अनुरोध है कि निदेशालय द्वारा स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय राज्य योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना शीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय एवं बचत् से संबंधित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में 31.03.2018 को E.mail से भेजते हुए उसकी हार्डकॉपी विशेष दूत (दक्ष कर्मी) के माध्यम से निदेशालय के बजट शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। ताकि जाँचोपरान्त प्रत्यर्पण प्रतिवेदन समेकित कर समेकित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन वित्त विभाग/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को ससमय उपलबध कराया जा सके। विदित हो कि प्रत्यर्पण प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु निदेशालय का बजट शाखा दिनांक 28.03.2019 से लगातार अवकाश के दिनों में भी कार्यालय अवधि एवं अवश्यकतानुसार कार्यालय अवधि के बाद तक खुली रहेगी।

विश्वासभाजन
ह०/–
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०13–01/2019 613 /पटना, दिनांक– 20/3/19

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (आहरण एवं व्यय), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधित के ई–मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने/कराने हेतु प्रेषित।

20/3/19
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

19, Binod, 17.03.2019